498

Rs.10

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट, रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

रश्मि सिंह तनय श्री राकेश सिंह, उम्र 42 वर्ष, पेशाखेती, निवासी ग्राम किरगी, तहसील पुष्पराजगढ़ जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

R5310-III/16

---- निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

---- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0) का आदेश दिनांक 23/4/2016 राजस्व प्रकरण क्रं. 96/अ-3। 2015-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

महोदय,

आधार निगरानी निम्नहै:-

(1) यह कि आवेदिका/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम दमना, तहसील-अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म0प्र0) स्थित आराजी खसरा नं. 1/1/क/9 रकबा 0.025 हे0 भूमि के नक्शा तरमीम हेतुम0प्र0 भू-राजस्व की संहिता की धारा 70 एवं 71 के तहत आवासीय भूखण्ड के संबंध में प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर, तहसील अनूपपुर जिलाअनूपपुरद्वारा विधिवत सीमांकन अर्थात् भूमि की नाप की जाकर 26×105 वर्गफिट बताया गया है।

क्रमशः2/-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-5310-दो/2016 जिला-अनूपपुर

रश्मि सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र शुक्ला उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 96/अ-31/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

23.01.19

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रमं में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य